1. श्री जगदीश गांधी, सिटी मोन्टेसरी स्कूल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

जो मनुष्य बुद्ध की, धर्म की और संघ की शरण में आता है, वह सम्यक् ज्ञान से चार आर्य सत्यों को जानकर निर्वाण की परम् स्थिति को पाने में सफल होता है। ये चार सत्य हैं– पहला दुख, दूसरा दुख का हेतु, तीसरा दुख से मुक्ति और चौंथा दुख से मुक्ति की ओर ले जाने वाला अष्टांगिक मार्ग। इस मार्ग की शरण लेने से मनुष्य का कल्याण होता है तथा वह सभी दुखों से छुटकारा पा जाता है। निर्वाण के मायने हैं सभी तृष्णाओं तथा वासनाओं का शान्त हो जाना। साथ हीं दुखों से सर्वथा छुटकारे का नाम है– निर्वाण। बुद्ध का मानना था कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है। मध्यम मार्ग हीं ठीक होता है। बुद्ध ने कहा है– बैर से बैर कभी कभी नहीं मिटता, अबैर (मैत्री) से हीं बैर मिटता है– यही सनातन नियम है।

मानव के विकास तथा उत्पत्ति में धर्म का सबसे विशेष स्थान होता है। वास्तव में धर्म जीवन की आधारशीला हैं। भिन्न भिन्न धर्मों की पूजा–उपासना की अलग अलग पद्धतियों, पूजा स्थलों तथा उपरी आचार–विचार में अंतर हमें दिखाई पडता है, पर हम उनकी गहराई में जाकर देखें तो हमें ज्ञान होगा कि सभी धर्मों के हृदय से मानव मात्र की एकता का संदेश प्रवाहित हो रहा है। बौद्ध धर्म आज भी भारत सहित चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, म्यांमार, थाईलैण्ड, हिन्द चीन, श्रीलंका आदि में करोडों प्राणियों का कल्याण कर रहा है। भगवान बुद्ध का आदर्श जीवन एवं संदेश युगों–युगों तक मानव मात्र को समता तथा एकता की प्रेरणा देता रहेगा।

बुद्ध के समय में सम्राट अशोक राज्य के विस्तार की भावना से युद्ध के द्वारा खून की नदियां बहा रहा था। वह अपने बेटे– बेटी को संसार का सारा सुख देने के लिए यह महापाप कर रहा था। अशोक के कानों में जब अहिंसा परमों धर्म का संदेश सुनाई पडा, तब अशोक ने सोचा अरे अहिंसा परमों धर्म होता है। मैं तो हिंसा कर रहा हूं। अशोक के अंदर द्वंद्व शुरू हो गया। वह बुद्ध की शरण् में चला गया। बुद्ध की ईच्छाओं से अशोक का हृद्य परिवर्तन हो गया। अशोक की ईच्छा से उसके बेटे महेंद्र तथा बेटी संघमित्रा ने अनेक देशों में जाकर बुद्ध के समता व अहिंसा के संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाया।

बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल, नगर वधु आम्रपाली, सम्राट अशोक, शुद्धोदन, पुत्र राहुल आदि सभी को अहिंसा की राह दिखायी। बुद्ध नें बुद्धं शरणम् गच्छामि तथा संघं शरणम् गच्छामि की शिक्षा दी। बुद्ध ने कहा कि केवल बुद्ध की शरण् में आने से काम नहीं चलेगा, धर्म की शरण् में आओं फिर इन्होनें कहा कि इससे भी काम नहीं चलेगा संघ की शरण् में आकर उसके नये–नये नियमों को मानने से काम चलेगा। भगवान बुद्ध का जीवन हमें सीख देता है कि कैसे एक साधारण गृहस्थ व्यक्ति भी अहिंसा, समता तथा परहित की भावना से मानव कल्याण की उच्च से उच्चतम् अवस्था तक पहुँच सकता है।

मानव समाज आज नवीन और महान युग में प्रवेश कर रहा है। प्रगतिशील धर्म का उद्देश्य प्राचीन विश्वासों के महत्व को कम करना नहीं बल्कि उन्हें पूर्ण करना है। आज के समाज को विखंडित करने वाले परस्पर विरोधी विचारों की विविधता पर जोर नहीं बल्कि उन्हें एक मिलन बिन्दु पर लाना होगा। अतीत काल के अवतारों की महानता अथवा उनकी शिक्षाओं के महत्व को कम नहीं करना बल्कि उनमें निहित आधारभूत सच्चाईयों को वर्तमान युग की आवश्यकताओं, क्षमताओं, समस्याओं और जटिलताओं के अनुरूप दोहराना है। परम्पिता परमात्मा के मार्ग पर मानव कल्याण की भावना से सतत् चलते हुए हमारा सदैव विश्वास है।

समीक्षा– प्रत्येक व्यक्ति की तीन अलग अलग भूमिकाएं होती हैं 1. व्यक्तिगत आचरण 2. पारिवारिक व्यवस्था 3. सामाजिक व्यवस्था। बुद्ध ने व्यक्तिगत आचरण के विषय में जो कुछ कहा वह अनुकरण योग्य है। पारिवारिक व्यवस्था के संबंध में उन्होनें कुछ कहा हीं नहीं और सामाजिक व्यवस्था के संबंध में उनका कथन अनुपयुक्त है। हो सकता है कि बुद्ध के कथन उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हीं हों किंतु वर्तमान देशकाल परिस्थिति के अनुसार उनमें व्यापक संसोधन की आवश्यकता है।

बुद्ध का बैंर से बैर नहीं मिटता, यह कथन समीक्षक, आलोचक तथा विरोधी तक तो ठीक है किंतु शत्रु के संबंध में इस कथन को संसोंधित करने की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति आलोचना और आलोचना से बढ़कर विरोधी और विरोध की सीमाओं को भी लांघ कर आगे बढ़ जाता है तब उसे शत्रु की श्रेणी में रखा जाता है।

स्वाभाविक है कि उसके प्रति समीक्षक या आलोचक के समान व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि सामान्यतः तथा यदा कदा हीं कोई शत्रु तक पहुंचता है अन्यथा वहां तक पहुंचना सामान्य घटना नहीं होती।

मैं मानता हूं कि सभी धर्मों के मूल में मानव मात्र की एकता के सूत्र खोजे जा सकते हैं किंतु सभी धर्मों के बीच टकराव के भी सूत्र कम नहीं होते। यदि ऐसे सूत्र एकता के सूत्र की अपेक्षा अधिक नहीं होते तो आज धर्म के नाम पर हो रहे टकराव इतनें व्यापक नहीं होते। अन्य धर्मों में तो एकता के सूत्र आंशिक प्रभाव भी डालते हैं, किंतु इस्लाम में तो ऐसे सूत्र कुछ सूफी विचार को मानने वाले तथा गिने चुने मुसलमानों में हीं दिखते हैं। यदि हम कुछ धर्मावलंबियों की बात करें तो साम्यवादी देशों के व्यवहार में ये सूत्र बिल्कुल हीं नहीं दिखते हैं।

बुद्ध ने अहिंसा का व्यापक विचार दिया। अहिंसा ने अशोक की हिंसक प्रवृत्ति पर व्यापक प्रभाव डाला तथा यदि आप अहिंसा के विचार की व्यापक समीक्षा करें तो बुद्ध तथा महावीर ने जिस प्रकार अहिंसा की एकपक्षीय मांग की वह अहिंसा धीरे धीरे कायरता में बदल गई। अहिंसा का अर्थ शत्रु से पराजित होने की सीमा तक नहीं जाना चाहिए था। किंतु वही हुआ। मुट्ठी भर आतंकवादी मुसलमानों ने भारत को कई सौ वर्षों तक गुलाम बना कर रखा। महात्मा गांधी पर भी ऐसी एकपक्षीय अहिंसा का व्यापक प्रभाव था। उन्होनें भारत की राजव्यवस्था को भी न्यूनतम बल प्रयोग द्वारा गलत विचार दिया। उसका परिणाम हुआ कि भारत की शासन व्यवस्था न्याय और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के स्थान पर जन कल्याण के कार्यों को उच्च प्राथमिकता देने लगी। आज भारत में समाज में हिंसा बढ़ने का मुख्य कारण यही है।

बुद्ध ने बुद्धं शरणम् तथा धर्मं शरणम् का जो उपदेश दिया उसके लाभ हानि का वर्णन नहीं कर रहा है किंतु भारत में धर्म को संगठन का स्वरूप देने की पहली कोशिश बुद्ध ने की। उसके बाद धर्म लगातार संगठन प्रधान होते चले गये। संगठन हमेशा हीं न्याय की अपेक्षा अपनत्व की दिशा में झुकता है। संगठन की आवश्यकता किसी विचारधारा के प्रचार के काम आती है किंतु संगठन तर्क की अपेक्षा संबंधों को अधिक महत्व देता है। इसलिये मैं बुद्ध के इस मंत्र का लगातार आलोचक रहा हूं।

यदि भारत में भीमराव अंबेडकर को बुद्ध विचारों का प्रतीक माना जावे तो बुद्ध की शिक्षाओं का सारा भेद अपने आप खुल जाता है। भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदु समाज को छिन्न भिन्न करने में लगाया। उनका एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता जिसमें उन्होंने परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था तोडने में न लगाया हो। अंबेडकर का हिंदू कोड बिल स्थापित करने का उद्देश्य न महिला सशक्तिकरण था न जन्मना जातिव्यवस्था कमजोरीकरण। उनका प्रयत्न था कि परिवार महिला और पुरूष के बीच संघर्ष में फंस जाये तथा समाज धर्म, जाति व्यवस्था के वर्ग संघर्ष में। आज वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष की समाज और परिवार में जो लपटें दिख रहीं हैं उन सबके बीज अंबेडकर जी के ही बोये हुए हैं।

स्वामी दयानंद को मानने वाले अथवा महात्मा गांधी जन्मना जाति व्यवस्था तथा परिवार में महिलाओं को लगातार सम्मान जनक स्थान दिलाने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे थे। जन्मना जाति व्यवस्था को कमजोर करने के उनके प्रयत्न सफल भी हो रहे थे किंतु अंबेडकर जी ने आकर सारे प्रयत्नों को असफल कर दिया। बुद्ध की शिक्षाएं अंबेडकर जी को दीक्षित नहीं कर सकी, अथवा बौद्ध विचारों का हीं प्रभाव अंबेडकर जी पर पडा यह तो अलग शोध का विषय है किंतु स्वतंत्रता के बाद की घटनाओं और उसके परिणामों पर अंबेडकर जी का प्रभाव स्पष्ट है जो अंबेडकर बौद्ध बन गये थें।

हिंदू धर्म में अनेक कमजोरियां स्पष्ट हैं किंतु उन कमजोरियों से दूरी बनाकर या सुधार करने की भी स्वतंत्रता है। हिंदू धर्म पूरी दुनिया में अकेला ऐसा है जिसनें न कभी धर्म और संगठन का घालमेल किया, न हीं कभी संख्या विस्तार की छीना झपटी की। हिंदू मान्यता के अनुसार धर्म का संबंध पूजा पद्धति से न होकर व्यक्तिगत कर्म से जुडा है। हिंदू धर्म ने अकेले हीं यह उद्घोषणा कर रखी है कि कोई अन्य धर्मावलंबी किसी स्थिति में हिंदू नहीं बन सकता। यहां तक कि हिंदू धर्म को छोडकर जाने वाला भी नहीं लौट सकता। ऐसी घोषणा हिंदूओं की

मूर्खता तो कही जा सकती है किंतु कहीं न कहीं बुद्ध धर्म सहित अन्य धर्मावलंबियों की संख्या वृद्धि के लिए की जा रही छीना झपटी की तुलना में बुरी नहीं कही जा सकती।

बुद्ध की चर्चा करते समय इन बातों पर भी चर्चा आवश्यक है। वैसे आपने जिस नीयत से यह लेख लिखा आपकी उस नीयत की मैं भूरी– भूरी प्रशंसा करता हूँ।

2 धनबाद महिला मंच, इन्द्रदेव भवन, कब्रिस्तान रोड, जोडा फाटक, धनबाद, बिहार

विचार–केंद्र सरकार के पास लगभग 100 विभाग हैं। सभी फैसले अन्तोगत्वा केंद्र सरकार करती है। ठीक इसी प्रकार राज्यों के पास भी विधायकी एवं क्रियान्वयन के कई विभाग हैं नगर निगम– पालिका, पंचायतों के विभाग जनता को कम परेशान करते हैं ऐसी बात नहीं है। ज्यादातर विभागों की प्राथमिकता ठेका बांटने, टैक्स वसूलने में लगी रहती है क्योंकि इसमें से हिंस्सा, कमीशन मिलता है।

कहने को तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में जनता आगे चलती है, सेवक पीछे चलता है, साथ देता है, लोगों के काम में सहायक होता है। लेकिन आज के लोकतांत्रिक भारत में प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक को जनता भय– मजबूरी में सर कहने पर मजबूर है। तंत्र में बैठे लोग शासक बन गये हैं और जनता गुलाम की भूमिका में तत्र के हर आदेश का पालन कर्ता बन गई है। कुछ लोग इस नेता– नौकरशाह वाले तंत्र से उपजे परिणाम को मूल समस्या मानकर इलाज तलाश रहे हैं।

इसलिये गांधी जी ने साफ–साफ कहा था कि जनता को अपने आधार पर खडा होना होगा। जो काम व्यक्ति या समाज अपने आधार पर कर सकता है उसमे सरकारी तंत्र का दखल नहीं होना चाहिए। जे.पी. ने 1974 में बिहार आंदोलन के दरमियान देश की प्रमुख समस्या को बताते हुए कहा था कि लोकतंत्र में तंत्र हावी हो गया है। तंत्र को छोटा करना होगा तथा लोगों को सरकारी तंत्र से निर्भरता कम करनी होगी। तंत्र को छोटा करने की बात पर जे.पी. ने विस्तार से बताया है कि केंद्र सरकार के पास सिर्फ पाँच 5 विभाग विदेश, वित, न्याय, आंतरिक सुरक्षा एवं वाह्य सुरक्षा होने चाहिए। बाकी सारे विभाग और उनका क्रियान्वयन राज्यों या पंचायतों के अधीन होने चाहिए। केंद्र सरकार पूरे देश की व्यवस्था पर निगरानी रखेगी। टैक्स की वसूली एक जगह से होगी। शिक्षा– चिकित्सा का जिम्मा हर हाल में समाज के पास होगा। सरकार इसमें विशेष सहयोग करेगी। कुंआं, तालाब, खेत, पेंड की बंदोबस्ती पंचायत के अधीन रहेगी।

एक व्यक्ति सिर्फ दो टर्म तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है। पद पर रहते हुए वह किसी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले सकता है। प्रधानमंत्री जनता सीधे चुने ताकि खर्च कम हो जायेगा और जाति धर्म का वर्चस्व घट जायेगा।

हर हाल में जाति, धर्म, भाषा के वर्चस्व वाली व्यवस्था समाप्त हो और श्रम उत्पादन करने वालों को आगे लाना होगा। व्यवस्था को इस प्रकार बनाने से नेता– नौकरशाह का दखल घट जायेगा और जनता सजग और जिम्मेवार होगी। इसी से भ्रष्टाचार कम हो जायेगा और व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी।

समीक्षा– मैं आपके इस प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत हूं। यदि आप इस दिशा में योजना बनाकर सक्रिय हो तो मेरा पूरा समर्थन तथा सहयोग मिलेगा।

व्यक्ति दोषी नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति को अतिरिक्त शक्ति अर्थात् पावर मिलता है तब उसे सदुपयोग अथवा दुरूपयोग के अवसर मिलते हैं। ऐसा अधिकार प्राप्त व्यक्ति या तो स्वयं चरित्रवान हो तब सदुपयोग कर सकता है अथवा उसे किसी अन्य का भय हो तब। यदि लम्बे समय तक भय का अभाव हो तथा पावर बढ़ता रहे तब दुरूपयोग की संभावना बढ़ती चली जाती है। जब व्यक्ति को पावर के दुरूपयोग से लाभ होने लगता है तथा खतरा नहीं रहता तब वह अधिक से अधिक पावर अपने पास ईकट्ठा करना शुरू करता है। आज भारत की ठीक यही हालत है। चरित्र लगातार कमजोर होता गया। भय के तीन आधार होते हैं 1. समाज का भय 2. ईश्वर का

भय 3. कानून का भय। भारत की राजनैतिक व्यवस्था ने सबसे पहले समाज को कमजोर करके राष्ट्रभाव को मजबूत किया। उन्होने धीरे– धीरे ईश्वर के साथ समझौता कर लिया। डकैत तक ईश्वर के साथ तालमेल बिठाने लगे। सरकार वे स्वयं बन बैठे तथा कानून बनाने लगे। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे पतन होता चला गया जो लगातार होता जा रहा है।

समाधान के लिए हम ईश्वर का भय बना नहीं सकते। हमारे पास दो हीं मार्ग हैं 1. समाज सशक्तिकरण 2. राज्य कमजोरीकरण। इसका अर्थ यह हुआ सरकार के पास न्यूनतम अधिकार हो तथा शेष सभी अधिकार परिवार, गांव, जिला– प्रदेश के बीच बाँट दें। ये अधिकार भी उपर से नीचे न आकर नीचे से उपर जावें। यह आदर्श स्थिति होगी। आप इस प्रयत्न में बढ़ते रहें। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं।

3 श्री सत्यपाल शर्मा, बरेली, उत्तर प्रदेश

प्रश्न– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। भारत में एकमात्र कश्मीर ऐसा राज्य है जिसका अलग संविधान है। कश्मीर के लोग भारत के किसी हिस्से में जमीन खरीद सकते हैं लेकिन शेष भारत के लोगों को कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। जम्मू– कश्मीर के लोग भारत के नागरिक हैं किंतु शेष भारत के लोग कश्मीर के नागरिक नहीं माने जाते हैं जम्मू–कश्मीर की विधानसभा भारतीय संविधान के बाहर जाकर भी कानून बना सकती है। जम्मू– कश्मीर की लडकियों का विवाह राज्य के बाहर होने पर उन्हें उत्तराधिकार सहित अन्य अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। जम्मू– कश्मीर का लडका यदि किसी विदेशी लडकी से विवाह करता है तो उस विदेशी को तमाम विशेषाधिकार प्राप्त हो जायेंगे लेकिन यदि जम्मू– कश्मीर की लडकी भारत के किसी दूसरे प्रान्त के नागरिक से विवाह कर लेती है तो तमाम अधिकारों से वंचित हो जाती है।

कुछ लोगों ने स्वार्थवश अनुच्छेद 370 को संवेदनशील और जाति– धर्म विशेषाधिकार बना दिया है। जम्मू– कश्मीर में पंडित और हिंदू बहुत कष्टसाध्य जीवन जी रहे हैं उन्हें वहां बसे मुसलमानों के समान सुरक्षा और अधिकार नहीं है। केंद्र में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल गया है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 370 को समाप्त करके देश में समान नागरिक संहिता लागू करें। इस विषय में आपके ओजस्वी विचारों की प्रतीक्षा है।

उत्तर– धारा 370 के संबंध में मैं अंक दो सौ पंचानबे में विस्तृत उत्तर दे चुका हूँ। आप उसके बाद कुछ पूछेंगे तो चर्चा आगे बढेगी। समान नागरिक संहिता को मैं बहुत आवश्यक मानता हूँ। व्यवस्थापक जिन चार मुद्दों पर आंदोलन कर रहा है उसके मुद्दे यदि पाँच होते तो पाँचवां मुद्दा समान नागरिक संहिता हीं होता। मेरे विचार में भारत की अधिकांश सामाजिक समस्याओं का समाधान समान नागरिक संहिता है।

4 श्री श्रीकांत व्यास, पटना, बिहार

प्रश्न– ज्ञानतत्व पत्रिका मुझे लगातार मिल रही है। विचारोत्तेजक यह पत्रिका एक अलग तरह की है। पाठकों के सवाल और आपके जवाब में राजनीतिक और सामाजिक विषयक् चीजों का बेबाकी से उद्घाटन होता है। एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान या कोई पार्टी अथवा दल भी बुरे नहीं होते, बल्कि उनको व्यवहार में या अमल में लाने वाले लोग बुरे होते हैं। लक्ष्यहीन मनुष्य और पतवार विहीन नौका दोनों हीं समान हैं। आपने संसदीय प्रजातंत्र के विरूद्ध की बात की है। अगर देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा तो वह देश या तो तानाशाही के अधीन में आ जायेगा अथवा वहाँ जंगलराज वापस हो जाऐगा।

उत्तर– आपने अपने पत्र में दो बातें लिखी हैं 1. कोई पार्टी या दल बुरे नहीं होते बल्कि बुरे तो उसके चलाने वाले होते हैं 2. तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र अच्छा होता है किंतु आप संसदीय प्रजातंत्र की आलोचना कर रहे हैं।

इस संबंध में मेरे विचार कुछ अलग हैं। सभी संगठन बुरी नियत से बनाये जाते हैं तथा समाज के लिए हानिकर परिणाम देते हैं। यदि नीयत खराब न हो तो संगठन बनाने की आवश्यकता हीं नहीं है। वास्तव में तो संस्था बननी चाहिए किंतु स्वार्थी लोग संस्था न बनाकर संगठन बनाते हैं। ऐसे संगठन शरीफ और अपराधी के बीच

अंतर करने मे बाधक हैं चाहे ऐसे संगठन राजनैतिक आधार पर बने हों अथवा धार्मिक आधार पर बने हों अथवा किसी और भी आधार पर बने हों।

आम तौर पर सामान्य लोग ऐसे संगठनों के पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। पीछे चलने वाले लोग बुरे नहीं होते बल्कि बुरा तो संगठन होता है जिसके पीछे पीछे लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का उद्देश्य ऐसे लोगों को सुधारना नहीं होता जो स्वयं ठीक हैं या ठीक चल रहे हैं। संविधान का उद्देश्य उन लोगों को ठीक से चलने के लिए मजबूर करना होता है जो ठीक से नहीं चलते। जो सरकार ऐसे अपराधी जिन्हें ठीक से चलने के लिए मजबूर करना हीं सरकार का दायित्व था वे अपनी असफलता को छिपाने के लिए ऐसी बात फैला देती हैं कि जब लोग संबिधान का ठीक से पालन हीं नहीं करते तो बैचारा संविधान क्या करे तथा आप लोग बिना ठीक से विचार किए ऐसे कथन को समाज में बोलना शुरू कर देते हैं। संविधान कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जो समाज को ठीक से चलने की सलाह दे। बल्कि वह तो उसे दंडित करके ठीक से चलने हेंतु मजबूर करने वाली ईकाई है। यदि समाज में अपराध कर्मी बढ़ रहे हैं तो उन्हें रोक पाने में असफलता का सारा दोष सरकार का हीं है और सरकार संविधान से चलती है, इसलिये सारा दोष संविधान का है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप व्यक्ति या समाज को दोषी न मानें।

आपने लोकतंत्र की तुलना तानाशाही से की है। मैं आपसे सहमत हूं कि लोकतंत्र हर तरह तानाशाही की अपेक्षा अच्छा है किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि लोकतंत्र का कोई और सुधार न हो। वर्तमान समय में भारत में संसदीय लोकतंत्र है। यदि यह संसदीय लोकतंत्र संसोधित होकर सहभागी का रूप ले ले तो क्या यह गलत है? सहभागी लोकतंत्र तो लोकतंत्र का एक सुधरा हुआ स्वरूप हैं। मेरा विचार है कि आप इस दिशा में भी सोचना शुरू कर दें कि लोकतंत्र के वर्तमान लोक नियुक्त तंत्र को बदल कर लोक नियंत्रित तंत्र बना दिया जाये तो क्या गलत होगा? आप इस संबंध में और प्रश्न करें।

5. डा0 पुरूषोत्तम मीणा, विस्फोट डांटकाम से

हमारी बहन–बेटियों को दहेज उत्पीडन के सामाजिक अभिशाप से कानूनी तरीके से बचाने और दहेज उत्पीडकों को कठोर सजा दिलाने के मकसद से संसद द्वारा सम्बंधित कानूनी प्रावधानों में संशोधनों के साथ भारतीय दण्ड संहिता में धारा 498–ए जोडी गयी थी। मगर किसी भी इकतरफा कठोर कानून की भांति इस कानून का भी प्रारम्भ से ही दुरुपयोग शुरू हो गया। जिसको लेकर कानूनविदों में लगातार विवाद रहा है और इस धारा को समाप्त या संशोधित करने की लगातार मांग की जाती रही है। इस धारा के दुरुपयोग के सम्बन्ध में समय–समय पर अनेक प्रकार की गम्भीर टिप्पणियॉ और विचार सामने आते रहे हैं। जिनमें से कुछ यहॉ प्रस्तुत हैं।

1. 19 जुलाई, 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी।

2. 11 जून, 2010 सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के सम्बन्ध में कहा कि पतियों को अपनी स्वतंत्रता को भूल जाना चाहिये।

3. 14 अगस्त, 2010 सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए में संशोधन करने के लिए कहा।

4. 04 फरवरी, 2010 पंजाब के अम्बाला कोर्ट ने स्वीकारा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के प्रावधानों का दुरूपयोग हो रहा है।

5. 16 अप्रेल, 2010 बॉम्बे हाई कोर्ट ने और 22 अगस्त, 2010 को बैंगलौर हाई कोर्ट ने भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के दुरूपयोग की बात को स्वीकारा।

6. 22 अगस्त, 2010 को केन्दीय सरकार ने सभी प्रदेश सरकारों की पुलिस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी।

7. विधि आयोग ने अपनी 154 वीं रिपोर्ट में इस बात को साफ शब्दों में स्वीकारा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है।

8. नवम्बर, 2012 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वय टी.एस. ठाकुर और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने कहा कि धारा 498–ए के आरोप में केवल एफआईआर में नाम लिखवा देने मात्र के आधार पर ही पति–पक्ष के लोगों के विरुद्ध धारा–498–ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये।

उपरोक्त गंभीर विचारों के होते हुए भी धारा 498–ए भारतीय दंड संहिता में कायम है तथा इसका दुरुपयोग भी लगातार जारी रहा है। जिसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात् सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 02 जुलाई, 2014 को एक बार फिर से अनेक गम्भीर मानी जा रही टिप्पणियों के साथ अपना निर्णय सुनाया है। न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने निर्णय में मूल रूप से निम्न बातें कही हैं–

1. दहेज उत्पीडन विरोधी धारा 498–ए का पत्नियों द्वारा जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है।

2. धारा 498–क में वर्णित अपराध के संज्ञेय और गैर जमानती होने के कारण असंतुष्ट पत्नियां इसे अपने कवच की बजाय अपने पतियों के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं।

3. धारा 498–क के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के साथ–साथ, गिरफ्तार व्यक्ति को अपमानित भी करती है और हमेशा के लिए उस पर धब्बा लगाती है।

4. धारा 498–ए वर पक्ष के लोगों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका है। पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार कराना बहुत आसान है। अनेक मामलों में पति के अशक्त दादा–दादी, विदेश में दशकों से रहने वाली उनकी बहनों तक को भी गिरफ्तार किया गया है।

5. धारा 498–ए के इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों में से करीब एक चौथाई पतियों की मां और बहन जैसी महिलायें होती हैं, जिन्हें गिरफ्तारी के जाल में लिया जाता है।

6. धारा 498–ए के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर 93.6 फीसदी तक है, जबकि सजा दिलाने की दर सिर्फ 15 फीसदी है।

7. हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों में इजाफा हुआ है। जिससे शादी जैसी संस्था प्रभावित हो रही है।

उपरोक्त कारणों से सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि धारा 498–ए के दुरुपयोग को रोकने के लिये हम सभी राज्य सरकारों को निम्न निर्देश देते हैं –

1. देश में पुलिस अभी तक ब्रितानी सोच से बाहर नहीं निकली है और गिरफ्तार करने का अधिकार बेहद आकर्षक है। पहले गिरफ्तारी और फिर बाकी कार्यवाही करने का रवैया निन्दनीय है, जिस पर अंकुश लगाना चाहिए। पुलिस अधिकारी के पास तुरंत गिरफ्तारी की शक्ति भ्रष्टाचार का बडा स्रोत है।

2. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में आगे निर्देश देते हुए कहा है कि सभी राज्य सरकारें अपने–अपने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498–क के तहत मामला दर्ज होने पर स्वतः ही गिरफ्तारी नहीं करें, बल्कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में प्रदत्त मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।

3. पुलिस स्वतः ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे गिरफ्तार करने की वजह बतानी होगी और ऐसी वजहों की न्यायिक समीक्षा की जायेगी। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की जरूरत के बारे में मजिस्ट्रेट के समक्ष कारण और सामग्री पेश करनी होगी। क्योंकि पतियों को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार एक बात है और इसके इस्तेमाल को पुलिस द्वारा न्यायोचित ठहराना दूसरी बात है। गिरफ्तार करने के अधिकार के साथ ही पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने को कारणों के साथ न्यायोचित ठहराने योग्य होना चाहिए।

4. जिन मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस कयास के आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वह अपराध किया होगा। गिरफ्तारी तभी की जाए, जब इस बात के पर्याप्त सबूत हों कि आरोपी के आजाद रहने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, वह कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है।

ये तो हुई बात सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय की उक्त टिप्पणियों तथा निर्देशों की, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी भयावह है कि धारा 498–ए के कहर से निर्दोष पीडितों को मुक्ति दिलाने के लिये इससे भी कहीं आगे बढकर किसी भी संवैधानिक संस्था को विचार कर निर्णय करना होगा, क्योंकि फौरी उपचारों से इस क्रूर व्यवस्था से निर्दोष पतियों को न्याय नहीं मिल सकता है। अतः इसके बारे में कुछ व्यवहारिक और कानूनी मुद्दे विचारार्थ प्रस्तुत हैं –

1. पति–पत्नी के बीच किसी सामान्य या असामान्य विवाद के कारण यदि पत्नी की ओर से भावावेश में या अपने पीहर के लोगों के दबाव में धारा 498–ए के तहत एक बार पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देने के बाद इसमें समझौता करने का कानूनी प्रावधान नहीं हैं!
2. ऐसे हालातों में इस कानूनी व्यवस्था के तहत एक बार मुकदमा अर्थात् एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वर पक्ष को मुकदमें का सामना करने के अलावा, समाधान का अन्य कोई रास्ता ही नहीं बचता है। इसलिये यदि हम वास्तव में ही विवाह और परिवार नाम की सामाजिक संस्थाओं को बचाने के प्रति गम्भीर हैं तो हमें इस मामले में मुकदमे को वापस लेने या किसी भी स्तर पर समझौता करने का कानूनी प्रावधान करना होगा। अन्यथा वर्तमान हालातों में मुकदमा सिद्ध नहीं होने पर, मुकदमा दायर करने वाली पत्नी के विरुद्ध झूठा मुकदमा दायर करने के अपराध में स्वतः आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की कानूनी व्यवस्था किया जाना प्राकृतिक न्याय की मांग है, क्योंकि स्वयं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 85 फीसदी मामलों में धारा 498–ए के आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति से कैसे निपटा जाये और झूठे आरोप लगाने वाली पत्नियों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से मौन है। जो दुखद है। धारा 498–ए के मामले में साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान न्यायशास्त्र के उस मौलिक सिद्धान्त का सरेआम उल्लंघन करते हैं जिसके अनुसार आरोप लगाने के बाद आरोपों को सही सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन या वादी पक्ष पर नहीं डालकर आरोपी पर डालता है कि वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध करे। जिसके चलते पुलिस को इस बात से कोई लेना–देना नहीं रहता कि कोर्ट से यदि कोई आरोपी छूट भी जाता है तो इसके बारे में उससे कोई सवाल–जवाब किये जाने की समस्या होगी।

   संसारभर में मान्यताप्राप्त न्यायशास्त्र के इस सिद्धान्ता को धारा 498–ए के मामले में भी लागू किया जाना चाहिये कि आरोप लगाने वाली पत्नियॉं इस बात के लिये जिम्मेदार हों कि उनकी ओर से लगाये गये आरोप पुख्ता तथा सही हैं और मनगढंत नहीं हैं जिन्हें न्यायालय के समक्ष कानूनी प्रक्रिया के तहत सिद्ध करना उनका कानूनी दायित्व है। जब तक इस प्रावधान को नहीं बदला जाता है, तब तक गिरफ्तारी को पारदर्शी बनाने की औपचारिकता मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला है।

3. अनेक बार तो खुद पुलिस एफआईआर को फड वाकर, अपनी सलाह पर पत्नी पक्ष के लोगों से ऐसी एफआईआर लिखवाती है, जिसमें पति–पक्ष के सभी छोटे बडे लोगों के नाम लिखे जाते हैं। जिनमें–पति, सास, सास की सास, ननद–ननदोई, श्वसुर, श्वसुर के पिता, जेठ–जेठानियॉं, देवर–देवरानिया, जेठ–जेठानियों और

देवर–देवरानिया के पुत्र–पुत्रियों तक के नाम लिखवाये जाते हैं। अनेक मामलों में तो भानजे–भानजियों तक के नाम घसीटे जाते हैं।

इस प्रकार हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि न मात्र धारा 498–ए के मामलों में बल्कि जिन किन्हीं भी मामलों या प्रावधानों में कानून का दुरुपयोग हो रहा है, वहॉ पर किसी प्रभावी संवैधानिक संस्था को लगातार सतर्क और विवेकपूर्ण निगरानी रखनी चाहिये, जिससे कि ऐसे मामलों में धारा 498–ए जैसी स्थिति निर्मित ही नहीं होने पाये। क्योंकि आज धारा 498–ए के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों के बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं दिख रहा है, बल्कि कुछ लोगों का तो यहॉ तक कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण दहेज उत्पीडकों के हौंसले बढेंगे, जिससे पत्नियों पर अत्याचार बढ सकते हैं। फिर भी जब तक इस कानून में से आरोपी के ऊपर स्वयं अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का भार है, तब तक पति–पक्ष के निर्दोष लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय को रोक पाना या उन्हें न्याय प्रदान करना वर्तमान व्यवस्था में असम्भव है, क्योंकि धारा 498–ए के मामले में साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान न्याय का गला घोंटने वाले, अप्राकृतिक और अन्यायपूर्ण हैं! अतय धारा 498–ए के कहर से निर्दोष पतियों को बचाने में सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय भी बेअसर ही सिद्ध होना है!

उत्तर– आपका लेख बहुत लंबा था जिसे हम लोगो ने संक्षिप्त लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार पांच से यह बात उठाई है। मै तो प्रारंभ से ही इस धारा का विरोधी हूँ। दहेज विरोधी धारा मूलतः गलती थी, है, और तब तक गलत रहेगी जब तक उसका अस्तित्व है।

इस धारा को शामिल करने का वास्तविक उद्देश्य परिवार व्यवस्था कमजोर करके परिवार मे वर्ग विद्वेष फैलाना था । राजनेता ऐसी धाराओ को शामिल करके अपने उददेश्य मे सफल रहे है। यह निर्णय आने को तत्काल वाद सरकारो द्वारा पालित–पोषित तथा व्यवसायी महिलाओ को हाय तौबा मचाते भी टीवी पर देखा होगा । सच बात यह है कि ऐसी महिलाएं कुल महिला आबादी की एक प्रतिशत से भी कम होती है किन्तु टीवी मे या सरकार के समक्ष ऐसा बोलती हैं जैसे वे संपूर्ण महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीति मे भी ऐसी महिलाओ की बात को बहुत महत्व दिया जाता है।

यदि गंभीरता से विचार करे तो दहेज प्रथा न कोई सामाजिक बुराई थी न है। प्राचीन समय मे दहेज एक सामाजिक व्यवस्था थी। सामाजिक व्यवस्था मे कानून कभी हस्तक्षेप नही करता और न करना चाहिये, प्राचीन काल मे सम्पत्ति व्यक्तिगत न होकर पारिवारिक थी । परिवार का मुखिया सम्पत्ति का मालिक था। विवाह होते समय वह परिवार अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति मे से लडके का हिस्सा मानकर जेवर के रूप मे देता था जो वधु की व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जाती थी । कन्या का पिता अपनी सम्पत्ति मे से लडकी का हिस्सा समझकर वर परिवार को दहेज के रूप मे देता था । बाद मे जब सम्पत्ति मे लडके के कानूनी अधिकार बने तथा उसके बाद जब लडकी के भी कानूनी अधिकार बने तब नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था मे तालमेल टूटा।

तब सामाजिक व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था के बीच पूरी तरह अव्यवस्था हो गई है। ऐसी ही अब्यवस्था के बीच धीरे धीरे महिलाओ की संख्या घटती चली गई, विवाह योग्य लडको तथा लडकियों के बीच करीब सौ–साठ का अनुपात हो गया। लडके कुंवारे रहने लगे । बडे बडे सम्पन्न परिवार या तो गरीब घरो की लडकियां लाने लगे अथवा पैसा देकर लडकी लाने लगे । दहेज तो पूरी तरह समाप्त हुआ ही इसके विपरीत कहीं– कहीं दहेज मिलने भी लगा। लडकी के परिवार समान स्तर के परिवारो मे लडकी देने की अपेक्षा बडे बडे शहरो मे बहुत सम्पन्न परिवारो मे लडकी देने की कोशिश करने लगे तथा इस प्रयत्न के लिये स्वेच्छा से खर्च करने लगे। अब तो हालात यह है कि कोई भी लडकी वाला समान परिवार मे बिना खर्च के भी शादी करने को सहमत नही। विवाह न होने के कारण जाति व्यवस्था टूटने लगी । पुराने जमाने की अनुलोम विवाह प्रथा फिर से शुरू हो रही है। लडके के उम्र मे बडे होने के कारण प्रेम विवाह बढ रहे है। दहेज हत्या या दहेज उत्पीडन का तो कोई प्रश्न ही नही है। विधवा विवाह खुले आम हो रहे है। यदि इसी तरह कुछ वर्षो तक लडकियों की संख्या घटती रही तो बहुपति की प्रथा भी शुरू होना संभव है।

दहेज संबंधी कानून के जिस दुरूपयोग की चिन्ता सर्वोच्च न्यायालय ने दो हजार पांच से शुरू की, उसका अनुभव मैने बहुत पहले ही कर लिया था। मैने कई बार इस कानून के खिलाफ लिखा भी और कहा भी। सच बात तो यह है कि यह पूरा का पूरा कानून ही खत्म करने लायक है। किन्तु न्यायपालिका सब कुछ समझते हुए भी अपनी सीमाओ का ज्यादा अतिक्रमण नही कर सकती। । अभी भी न्यायपालिका ने बहुत संकोच के साथ एक मामूली सा संदेश दिया है। किन्तु विधायिका अपने राजनैतिक स्वार्थ मे इतना साफ संदेश भी नही सुनना चाहती, क्योकि उसे पता है कि मुठी भर पेशेवर औरते कभी नही चाहती कि उनके हाथ का यह कानूनी हथियार निकल जावे । ये मुठठी भर पेशेवर औरते नेताओं को वोट दिलाने का दम भरती है। अनेक राजनैतिक महिलांऐं भी न्याय और व्यवस्था को किनारे करके ऐसी महिलाओं का समर्थन करना शुरू कर देती है।

मेरे विचार मे किसी कानून का दुरूपयोग रोकना न्यायालय का काम नही है। किन्तु जब विधायिका बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी छोड दे तो न्यायालय को मजबूरी मे ऐसा करना पडता है। मै स्पष्ट देख रहा हूँ कि दहेज विरोधी कानून के दुरूपयोग की पोल खुलने मे तो कई दशक लग गये किन्तु बलात्कार संबंधी अभी बना कानून तो दो चार वर्षो मे ही कहर ढाने लग जायेगा। वैसे तो अभी ही दिखने लगा है कि इस कानून की आड मे बलात्कार संबंधी सच्ची और झूठी घटनाएं होती थी उनमे एकाएक कई गुना बाढ़ आना चिन्ताजनक है। इस कथन मे कोई दम नही कि दो वर्ष पूर्व बलात्कार आज की अपेक्षा ज्यादा होते थे और रिर्पोट कम । अब बलात्कार तो कम हुए है और रिर्पोट ज्यादा। सच्चाई चाहे जो हो किन्तु मुठ्ठीभर महिलाओं के प्रभाव मे आकर नेताओ ने बलात्कार कानून का जैसा दुरूपयोग किया वह समाज को बहुत नुकसान करेगा। अच्छा हो कि समय रहते इसमे सुधार कर लिया जावे।

6. श्री सत्यपाल शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश 243004

सोलहवी लोक सभा के चुनाव मे अप्रत्याशित कामयावी का सर्वाधिक श्रेय श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। मोदी ने चुनाव प्रचार मे विकास का मुद्दा सामने रखकर जनता का विश्वास अर्जित किया। कांग्रेस समेत देश के सभी दल समाजवादी पार्टी बसपा तथा अन्य दल तुष्टीकरण की नीति पर चलने लगे और मुसलमानो को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये नये नये हथकंडे अपनाने लगे जो हिन्दुओ को नाराज करने का कारण बनी । इस लोक सभा चुनाव मे गांधी परिवार की चमक फीकी पड गई। जनता ने बंशवाद की राजनीति को नकार दिया।

जनता ने स्पष्ट बहुमत देकर मोदी को जिम्मेदारी सौपी है देखना है कि वे किस प्रकार जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे। आपने अपने अनेक लेखो मे नरेन्द्र मोदी की आलोचना की है। अब आपको नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिये। इस विषय मे अपने विचार स्पष्ट करने की कृपा करे।

उत्तर– मै अकेला व्यक्ति हूँ जिसने पांच वर्ष पूर्व ही नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री योग्य माना था। मै लगातार चार बाते लिखता रहा हूँ। 1 प्रधानमंत्री पद के लिये मनमोहन सिंह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति है। दूसरे नम्बर पर नीतिश कुमार योग्य है। यदि ये दोनो दौड से बाहर कर दिये जावे तो नरेन्द्र मोदी के अतिरिक्त और कोई उस योग्य नही है। राहुल गांधी मे तो प्रधानमंत्री बनने की एक प्रतिशत भी योग्यता नही है।

मैने यह भी लगातार लिखा है कि समस्याओ के शीघ्र समाधान के लिये नरेन्द्र मोदी ही सर्वाधिक उपयुक्त है किन्तु नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से केन्द्रीयकरण का खतरा है। नरेन्द्र मोदी से तो यह खतरा आंशिक ही था किन्तु संध परिवार का साथ होने से यह खतरा बढ जाता है। मैने विभिन्न ज्ञानतत्वो मे जो कुछ लिखा वह बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है। यदि मैने इससे हटकर किसी अंक मे कुछ लिखा हो तो आप वह बात लिखिये कि मैने किस अंक मे अलग लिखा । मै अपने पूर्व लेखन पर अब भी कायम हूँ।

7. श्री रामकृष्ण जाखोटिय, जयपुर, राजस्थान 20878

विचार– आपने 13 जून से 22 जून तक जंतर मंतर मे दिल्ली मे धरना देने का कार्यक्रम रखा। इसमे चार मांगे रखी थी। यहां मै कुछ मांगो पर शंका समाधान चाहुँगा।

चौथी मांग प्रत्येक व्यक्ति को दो हजार रूपये प्रतिमांह जीवन भत्ता देने की की गई है, जो व्यावहारिक नही होने के साथ ही समाज को निठल्ला, अकर्मण्य, भिक्षु, श्रमविहीन, समाज की ओर ले जाने वाला कदम होगा। यदि घर बैठे किसी को मुफ्त मिलते है तो वह श्रम क्यो करेगा।

आप अपने नाम के आगे 'मुनि' उपनाम लिखते है। मुनि मे क्या विशेषता होनी चाहिये। प्राचीन ग्रन्थो मे ऋषि–मुनि शब्द तो सुना सुनाया है, पर शब्द का विश्लेषण करवाने का कष्ट करे। ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, सिद्ध, ऋषि, महर्षि, देवऋषि, फकीर, कलन्दर, आदि अनेक शब्द है। जिनकी मीमांशा करावे ।

प्रथम मांग मे परिवार को संवैधानिक अधिकार देने की बात कही गई । आपने एक जगह परिवार की संपत्ति सामूहिक संपत्ति होगी ऐसा भी आपने लिखा है। मसलन एक परिवार मे पांच सदस्यो की सम्पत्ति एक लाख रूपया है। तो एक एक के हिस्से मे बीस हजार रूपये आये । यदि कोई सामाजिक खर्च आया तो पांच मे से कोई खर्च मे भागीदार नही बनना चाहे तो क्या होगा। परिवार का कष्टोडियन कौन होगा। क्या लडकियों का भी हिस्सा होगा। अवयस्क बालको का क्या होगा। यह पेचिदा पहेली है। परिवार संबंध बिगडेगा। हिन्दू कोड बिल के प्रावधान से वर्तमान मे भी परिवार मे झगडे फसाद का माहौल बनने लगा है। परिवार को संवैधानिक अधिकार नही पारिवारिक संविधान की जरूरत है। आपके दृष्टिकोण से अवगत करावे । परिवार मे जहां तक स्त्रियो का सवाल है वे आज भी महत्वहीन है। क्या आप गृहणियो को वेतन देने की वकालत कर रहे है। स्पष्ट करे । परिवार की समस्याऐं परिवार ही ठीक करेगा। उसके लिये संवैधानिक अधिकारो की क्या जरूरत है। आपकी दूसरी और तीसरी मांग राइट टू रिकाल और लोक संसद सभी को स्वीकार है। अन्ना हजारे केजरीवाल आदि विशिष्ट जनो ने भी इसके लिये आंदोलन किये थे। बडे धनीभूत प्रयास की जरूरत है। संगठित आंदोलन जिसमे आप सभी अन्ना हजारे, केजरीवाल और सभी नामचीन सहयोगी अपनी सहभागीदारी सुनिश्चित करे तो सफलता अधिक दूर नही होगी । क्या आपको यह स्वीकार होगा।

अंक 291 मे पेज संख्या 27 पर आपने लिखा कि संघ परिवार सत्ता परिवर्तन के लिये हिसा को प्रोत्साहित करता है। यह गलत है। बेबुनियाद है। हाल ही मे सत्ता परिवर्तन हुआ। एक परिवार का शासन समाप्त हो गया। संघ परिवार द्वारा हिंसा के प्रोत्साहन का कोई उदाहरण बताइये। संघ को झुठ मुठ क्यो बदनाम करते है। ,

आपने पेज संख्या 24 पर लिखा कि जुआ, शराब, वैश्यावृत्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या जैसे काम करने मे सरकार लगती है तो वह असफल सरकार है। समाज मे उक्त विकार सदियो से चले आ रहे है। समाज ही इन विकारो मे लिप्त है। फिर क्या सरकार को सो जाना चाहिये। समाज की असफलता के कारण सरकार को हस्तक्षेप करना पडा। इनके संबंध मे जो कानून बने है, वे तो विगत पचास वर्षो मे आकार मे आये है। जबकि विकार सदियो से जड जमाये हुए है। सरकार के प्रयास सराहनीय है। जडवत और निरीह समाज के बस की बात नही है। पेज संख्या 31 पर आपने समाज मे दो प्रकार की व्यवस्थाए प्रचलित बताई है। एक बंद और दूसरी खुली । उनके लिये आपने पुरातन पंथी और आधुनिक नाम भी दिये है। बंद व्यवस्था मुख्यतः गांवो मे सीमित है, जो वहां से पलायन कर रही है। गांवो मे भी लडके लडकियो के वेष–भूसा, रहन–सहन, बात–चीत, मे भारी परिवर्तन हुए है। यह टीवी संस्कृति का प्रभाव है। निरक्षर और अशिक्षित लोगो मे बंद व्यवस्था शीघ्र हटने वाली नही। इसमे एक सदी से अधिक समय लग सकता है। इन व्यवस्थाओ मे कौन अच्छी है कौन बुरी यह तो आने वाला समय बतायेगा। पर यह निश्चित है कि समाज चाहे न चाहे खुली व्यवस्था ब्यापक रूप से उभर कर अपना सिक्का जमायेगी।

पेज न0–25 पर आपने लिखा कि इस्लाम, हिन्दुत्व को निगल जाना चाहता है और संघ राजनैतिक उद्देश्य से बचाना चाहता है। इसके पीछे आपने राजनैतिक उददेश्य बताये यह गलत है। किसी विचार धारा को सपोर्ट

करना राजनीतिक कैसे हो सकता है। हिन्दुत्व एक जीवन शैली है, धर्म नही । अगर संघ इस जीवन शैली की रक्षा के लिये इसके प्रतीको की रक्षा के लिये, इसके अवशेषो के लिये संघर्ष करता है तो यह पुनीत कार्य है। इस्लामिकरण का विरोध करता है तो क्या गुनाह करता है। संघ न हो तो देश का क्या स्वरूप कैसा होता, यह कल्पनातीत है।

पेज संख्या बीस पर सहमत सेक्स प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार बताकर तो आपने भारतीय संस्कृति सभ्यता की धज्जिया उडा दी। प्राचीन काल खंडो मे समाज कभी इसका समर्थक नही रहा। सहमत सेक्स से सामाजिक रिश्ते तारतार हो जाने का खतरा होगा। सामाजिक तानाबाना टूटकर चूर चूर हो जायेगा। हत्याऐं मारकाट अपहरण बढेगे। परिवार टूटेंगे तो समाज कैसे बचेगा। आपकी सोच मे विकृति है। मै दकिया नूशी विचार धारा को प्रश्रय नही देता । किन्तु सहमति से सेक्स को मौलिक अधिकार देने की कल्पना हेय, विनाशकारी, समाज को डुबो देने का उपक्रम अवश्य है। मेरी सोच है कि अधिकांश पाठको ने आपकी धारणा एंव मत की पुष्टि नही की होगी। आप इसे किस तरह उचित ठहराते है। स्पष्ट करे। महिला सशक्तिकरण, परिवार सशक्तिकरण, गांव सशक्तिकरण, समाज सशक्तिकरण, होना चाहिये। पेज संख्या 22 पर आपने उक्त बावत अपनी सोच एंव भावनाओ का इजहार किया पर अपने तरीके नही बताये कि सशक्तिकरण का लक्ष्य कैसे पूरा हो। मेरी सोच है कि गांव सशक्त हो रहे है, वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, शिक्षा एंव स्वास्थ सेवाये बढ रही है। महिलाओ को पंचायत मे 50 प्रतिशत सीटो पर आरक्षण प्राप्त हैं । महिलाओ मे शिक्षा के प्रति जागृति बढी है। अगर गांव मे उजाला नही देख पा रहे है तो यह आपकी बीमार मानसिकता का द्योतक है। आदिवासी और दलितो के लिये सरकार ने अपने खजाने खोल रखे है। प्रशासन मे उच पद और राजनीति मे इनकी दमदार प्रविष्टि इसके प्रमाण है। सरसठ वर्ष पूर्व हम गोरी चमडी वालो के गुलाम थे, और आजादी के बाद काली चमडी वालो के गुलाम है। इसके लिये अलग से आंदोलन की जरूरत है। इस मानसिकता के उबरने मे शायद तीन–चार दशक और लगेंगे।

राममंदिर जन्म भूमि विरोध पर अन्य स्थान की खुदाई से पुरातात्विक अवशेषो ने यह सिद्ध कर दिया कि यहां मंदिर को बाबर के सेनापति मीरबाकी ने तोडकर मस्जिद बनवाई थी। मंदिर का निर्माण होना चाहिये। आगे आपने यह भी बताया कि संघ चाहता तो मंदिर की समस्या सुलझ गई होती। संघ सदैव आपकी आलोचना के निशाने पर रहा है तथा आप पानी पी–पीकर उसे कोसते रहे है। संघ से ही हिन्दू सशक्तिकरण हो रहा है। अन्यथा सर्वत्र मुस्लिम लीग का बोलबाला होता।

दिनांक 13 जुन से 22 जुन तक धरने की कितनी सफलता रही विस्तार से बतावे।

गांधी हत्या के संबंध मे नाथु राम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे की पुस्तक ''गांधी वध क्यो'' मे लिखा है। उसके पढने से लगता है कि विभाजन के संबंध मे पाकिस्तान को आबादी के अनुपात से अधिक भूभाग देने राजकोष से करोडो की राशि, पूरी ट्रेन भरकर हथियार देने से वह व्यक्ति उद्वेलित था। नाथुराम गोडसे हिन्दूवादी था। 1932 मे उसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से सदस्यता स्वयं खत्म कर ली थी। गांधी जी ने पाकिस्तान की तरफदारी कर हिन्दुस्तान के हिस्से की बलि चढाई यह तो स्पष्ट है। उसने जो किया वह अच्छा था या बुरा यह विवाद का विषय है आप अपना मत स्पष्ट करे।

उत्तर– भारत मे तीन प्रकार के लोग है 1 श्रम प्रधान 2 बुद्धि प्रधान 3 धन प्रधान। जो व्यक्ति दो हजार रूपया महिना अर्थात पांच व्यक्तियों का परिवार दस हजार रूपये से भी कम पर गुजारा कर रहा है वह गरीब है। ऐसे गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले अधिकांश लोग श्रमजीवी हैं। दस हजार से उपर तथा पचास हजार से कम प्रतिमाह कमाने वाले मीडियम क्लास मे आते है। ऐसे परिवारो के अधिकांश लोग बुद्धिजीवी होते है। ऐसे लोगो मे इक्का दुक्का लोग ही अपने दैनिक कार्य मे आधे से अधिक शारीरिक श्रम करते है। जिन परिवारो की मासिक आय अपनी कुल सम्पत्ति के ब्याज के आधार पर दस हजार से उपर है वे सम्पन्न माने जाते है। आपका कहना है कि दो हजार रूपया प्रति व्यक्ति छूट देने से वह व्यक्ति काम नही करेगा । आपका यह कथन सही है किन्तु यह भी सही है कि दस हजार से अधिक कमाने वाला मध्यम वर्ग या सम्पन्न वर्ग का व्यक्ति कुछ अधिक ही काम करता है। घर

नही बैठ जाता । श्रमजीवियो की आय कम होने के कारण अपनी अधिकतम सीमाएं पेट भरना और शराब पीने से ही संतुष्ट रहना मानते है जबकि मध्यम वर्ग उच्च वर्ग अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धा का प्रयास करने के लिये कोई सीमा नही मानते । श्रम खरीदने वाले चाहते है कि श्रमजीवियो के भाग्य मे वही लिखा होने से उन्हे खुले आकाश की ओर जाने देना समाज हित मे नही हे। मेरा विचार है कि श्रम खरीदने वालो द्वारा श्रम बेचने वालो के लिये ऐसी सीमाए बनाना अमानवीय कार्य है, जिससे बचना चाहिये। मुझे नही मालुम कि ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी आदि शब्दो मे क्या अंतर है। यदि कही और से पता चले तो आप बताइयेगा। मै स्वामी दयानंद के विचारो के अधिक निकट हूँ । उनके दो कथन ने मुझे ज्यादा प्रभावित किया। 1 सत्य को ग्रहण करने मे सर्वदा प्रवृत्त होना चाहिये। 2 आर्य समाज का दसवां नियम जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलो मे निर्णय की पूरी स्वतंत्रता तथा समाजहीत के विषयो पर पूरी परतंत्रता होनी चाहिये। आर्य समाज के प्रमुख ब्रहमचारी राजसिह जी ने मुझे वानप्रस्थ घोषित करने की सलाह दी और वानप्रस्थ के बाद मेरा नाम अग्रवाल से हटाकर मुनि कर दिया। मुनि का आशय वही बता सकते है।

मै परिवार को संवैधानिक मान्यता देने का पक्षधर हूँ । इसका आशय यह है कि परिवार के पारिवारिक मामलो मे सरकार कोई कानून नही बना सकती। सरकार ने आज अनेक ऐसे कानून बना रखे है जो परिवार के पारिवारिक मामलो मे हस्तक्षेप है। हिन्दू कोड बिल ऐसे कानूनो मे सबसे अधिक खतरनाक है। इसके अतिरिक्त विवाह, तलाक, सन्तानोपत्ति, सम्पत्ति का विभाजन, महिलाओ को गुजारा भत्ता , वृद्धावस्था पेंशन, बालश्रम, कन्या भ्रूण हत्या आदि सैकडो अनावश्यक कानून बने हुए है। परिवार को संवैधानिक मान्यता मिलते ही हिन्दू कोड बिल सहित अन्य सभी कानून स्वयं ही समाप्त हो जायेंगे। परिवार अपनी आंतरिक व्यवस्था स्वतंत्रता से कर सकेगें।

परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति सामूहिक होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार मे रहते हुए सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का पृथक अधिकार नही होगा। भू अभिलेखो मे भी सम्पत्ति परिवार के मुखिया के नाम पर होगी। परिवार से अलग होते समय व्यक्ति अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकता है। परिवार के सभी सदस्यो का समान हिस्सा होगा चाहे बालक हो या वृद्ध या महिला। किसी के साथ कोई भेद नही होगा । अवयस्क बालक भी परिवार के ही माने जायेगे । व्यक्ति के नही। वृद्ध हो या बालक, सबका भरण पोषण परिवार का सामाजिक दायित्व होगा। कानुनी नही। यदि किसी सदस्य को कोई कठिनाई होगी तो वह अपना हिस्सा लेकर अन्य परिवार मे जा सकता है। अथवा ग्राम सभा मे जुड सकता है। प्रत्येक परिवार अपना पारिवारिक संविधान बना सकता है किन्तु परिवार किसी सदस्य के मौलिक अधिकार किसी भी रूप मे न कम कर सकता है, न छीन सकता है और वह अधिकार है अपने परिवार से पृथक होने की स्वतंत्रता का। मै सहमत हूँ कि परिवार अपनी समस्याए स्वयं ठीक कर लेगा। आंतरिक मामलो मे कानून का हस्तक्षेप समाप्त होना चाहिये।

हम लोगो ने घोषित कर रखा है कि जो व्यक्ति या समूह इन चार मांगो मे से किसी एक से भी सहमत है वह हमारा समर्थक सहयोगी माना जायेगा। हमलोगो ने अन्ना जी तथा अरविन्द जी को विशेष रूप से आने का आग्रह किया था। अन्ना जी तो व्यस्तता के कारण नही आ सके तथा अरविन्द जी को इन मांगो मे राजनैतिक लाभ का अभाव दिखा इसलिये वे नही आये, और द्वार तो राजनेताओ तक के लिये खुले है। यदि वर्तमान चुनावो की समीक्षा करे तो मोदी जी की विजय के पीछे अनेक स्थितियों का मिश्रण है। ऐसी परिस्थितियों मे मुजफ्फरपुर के दंगो की मुख्य भूमिका है। इसके पूर्व मोदी जी की विश्वसनीयता को स्थापित करने मे गुजरात के मुसलमानो के घमंड तोडने की मुख्य भूमिका रही। दोनो ही भूमिकाओ मे हिंसा का बडा योगदान रहा और इस योगदान मे संघ की मुख्य भूमिका रही। मेरा मत है कि दोनो मामलो मे संघ परिवार की भूमिका ठीक थी। यदि संघ हिंसा के प्रत्युत्तर मे हिंसा का समर्थक है और जो ठीक भी है, तो आप संघ को अहिंसक कैसे कह सकते है। मै स्वयं समुचित हिंसा का समर्थक हूँ भले ही ब्राम्हण प्रवृत्ति होने के कारण स्वयं कभी हिंसा मे भाग नही लेता।

जुआ, शराब, वैश्यावृत्ति, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि सामाजिक कुरीतियां है जो कानून से नही रूक सकती। इन्हे रोकना न सरकार का दायित्व है न ही इसके लिये सरकार बनी है। इतना अवश्य है कि यदि सरकार अपना दायित्व सुरक्षा और न्याय देने मे पूरी तरह सफल है तो इनको रोकना अपना अतिरिक्त कर्तब्य समझकर कर

सकती हे। प्रश्न उठता है कि क्या सरकार सुरक्षा और न्याय मे पूरी तरह असफल नही हो गई है। क्या यह उचित होगा कि सुरक्षा और न्याय देने मे असफल सरकार अपनी ताकत कही अन्यत्र लगावे। सच्चाई यह है कि सामाजिक अपराध रोकने मे असफल सामाजिक कार्यकर्ता यह काम सरकार से करवाना चाहते है जिससे उनकी असफलता छिप जावे। संघ भी उनमे से एक है। संघ परिवार की कार्यप्रणाली और मेरी कार्यप्रणाली में एक मूलभूत फर्क है। संघ परिवार क्षत्रिय प्रवृत्ति का है और मैं ब्राम्हण प्रवृत्ति का। संघ मानता है कि ठीक रास्ते पर नहीं चलने वालों को कानून के भय से ठीक कर दिया जाये। मेरी मान्यता है कि ठीक रास्ते पर नहीं चलने वालों के साथ संवाद किया जाये। यदि संवाद के बाद भी वे ठीक रास्ते पर नहीं चलें तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार का भय दिखाया जाये। फिर भी जो न माने उन पर कानून के द्वारा कार्यवाही हो। दूसरा फर्क यह है कि मैं सिर्फ उन्हीं के विरूद्ध हूं जो अपराध करते या कराते हैं। जो लोग विचारों के माध्यम से विरोध करने तक सीमित हैं उन्हें शत्रु न माना जाये। संघ परिवार ऐसी सीमा नहीं मानता। तीसरी बात यह है कि संघ परिवार मुसलमानों की सोच को सर्वाधिक घातक मानकर उन्हें दबाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मैं पाँच प्रकार के अपराध 1. चोरी, डकैती, लूट 2. बलात्कार 3. मिलावट कमतौल 4. जालसाजी धोखाधडी 5. हिंसा, आतंकवाद तथा छ प्रकार की समस्याऐं (1) भ्रष्टाचार (2) चरित्र पतन (3) जातीय कटुता (4) सांप्रदायिकता (5) आर्थिक असमानता (6) श्रमशोषण, इस तरह की सभी ग्यारह समस्याओं को समान महत्व देता हूं। संघ की नीयत पर मैनें कभी शक् नहीं किया, किंतु स्वतंत्रता के तत्काल बाद संघ ने अपनी स्वतंत्रता पूर्व की सामाजिक सीमा तक रहने की नीति को छोडकर राजनैतिक सीमा तक बढ़ा दिया उस पर मैंने हमेशा संदेह किया है और आज जब संघ परिवार अपने उद्देश्य में लगभग सफल हो गया है तब भी मेरी सोच में कोई बदलाव नहीं है। मैं अब भी मानता हूं कि बडी संख्या में मुसलमानों को तर्क के माध्यम से समझाना संभव है और जो नहीं मानेंगे अथवा जो स्पष्ट तौर पर आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहेंगे उन्हें कानून अपने तरीके से दुरूस्त कर देगा। यदि कानून कमजोर होगा तो मैं कानून बदलवाने का प्रयास करूंगा न कि स्वयं निपटने में लग जाउंगा। मेरा स्पष्ट मत है कि समाज सुधार का अपना काम सरकार से कराना तथा सांप्रदायिकता पर अंकुश का सरकारी काम स्वयं करने के संघ प्रयास की अपेक्षा समाज सुधार का काम हम गैर सरकारी लोगों को तथा आपराधिक कार्य सरकार से कराने चाहिए।

सरकार समाज से उपर न होकर नीचे है। सारी दुनियां तो यही मानती है। संघ परिवार यदि राष्ट्र को समाज से उपर माने तो मै क्या कह सकता हूँ । आपके कथनानुसार यदि समाज अपनी बुराइयां दूर न कर सके तो सरकार को हस्तक्षेप करना पडता है। मेरा विचार है कि यदि सरकार अपना कार्य ठीक से न कर सके तब अन्तिम स्थिति मे समाज वह काम करता है। इसका अर्थ हुआ कि समाज मालिक है और राज्य मैनेजर । इस संबंध मे आप और स्पष्ट करे कि सरकार की पहली प्राथमिकता सुरक्षा और न्याय है या नही तथा यदि सरकार किसी काम को न कर सके तब समाज हस्तक्षेप करेगा या पहले समाज और अंत मे सरकार ।

बंद व्यवस्था और खुली व्यवस्था मे एक फर्क है। बंद व्यवस्था वह है जिसमे परिवार का प्रत्येक सदस्य पारिवारिक अनुशासन मे रहता है। खुली समाज व्यवस्था वह है जिसमे परिवार के सदस्य परिवार की सहमति के बिना भी स्वतंत्र. आचरण करते है। बंद समाज व्यवस्था मे परिवार के सभी सदस्य अपने सदस्यो की सामूहिक सुरक्षा स्वयं करते है जब खतरा उससे अधिक हो तभी सरकार की सहायता ली जाती है। खुले समाज मे सारी सुरक्षा सरकार के जिम्मे है। मेरा विचार है कि बंद परिवार व्यवस्था अधिक अच्छी है जहां सभी अपनी अपनी सुरक्षा भी करते है। आपका आशय महिलाओ के संबंध मे अधिक दिखता है। मै समझता हूँ कि महिला और पुरूष के बीच एक दूसरे के बीच स्वाभाविक आकर्षण है। खुले समाज के महिला और पुरूष इस दूरी को घटाते जाते है और जब दूरी घटाने से ब्लास्ट होता है तब कानून के लिये हाय तौबा मचाते है। बंद समाज के लोग ऐसी दूरी को एक सीमा से कम न होने देने के लिये सतर्क रहते है तथा उसके बाद भी ब्लास्ट हो जावे तो उसे विशेष घटना मानते है। आप भले ही अपने को खुला समाज का मानकर ठीक समझते हो तथा हम बंद समाजवालो को दकिया नूसी किन्तु हम तो संतुष्ट है कि हम खुले समाज से भले ही वंचित रहे किन्तु हानियो से भी बचे हुए हे।

आपने समाज को जडत्व पूर्ण और निरीह कहा। मेरे विचार से समाज वैसा है नही बल्कि बना दिया गया है। यदि समाज स्वतंत्र रूप से न सोच सकेगा न कर सकेगा तो उसमे जडता आयेगी ही । आप जडता के कारण सरकार की आवश्यकता को आदर्श स्थिति मान रहे है। मै उसे मजबूरी मान रहां हूँ और जडता या निरीहता को तोडना चाहता हूँ। इसके लिये धीरे–धीरे सरकार से स्वतंत्रता आवश्यक है।

संघ के राजनैतिक उददेश्य पहले तो कुछ ढके छुपे भी थे किन्तु अब तो बिल्कुल स्पष्ट है। संघ ने सुरेश सोनी को और रामलाल को भाजपा मे भेजा और अब राममाधव को भेजा । अब भी यदि आप न माने तो लगता है कि आप संघ परिवार के अनुशासन मे हैं जो प्रत्यक्ष देखते हुए भी देखना नही चाहते।

व्यक्ति परिवार और समाज के आपसी क्या संबंध हो यह कठिन विषय है। व्यक्ति के कूछ मूल अधिकार है जिन्हे उसकी सहमति के बिना कोई नही छीन सकता। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। समाज के साथ तालमेल करना उसकी मजबूरी है। इस तालमेल के लिये ही व्यक्ति अपने अनेक मूल अधिकारो के साथ समझौता करता है। व्यक्ति का नंगा रहना उसका मूल अधिकार है किन्तु अपने कमरे के बाहर उसे नंगा न रहने के लिये परिवार के साथ समझौते करने पडते है। परिवार सहजीवन की पहली पाठशाला है और समाज अन्तिम । जो व्यक्ति न परिवार को मानता है न समाज को उससे कानून निपट लेगा। किन्तु समाज सर्व शक्तिमान होने का यह अर्थ नही कि समाज व्यक्ति के मौलिक अधिकार उसकी सहमति के बिना छीन सकता है।

सहमत सेक्स दो व्यक्तियो द्वारा अपने अपने परिवारो के अनुशासन का उल्लंघन है। परिवार अपने अपने सदस्यों को समझा सकता है, रोक सकता है, परिवार से निकाल सकता है, अनुशासित कर सकता है किन्तु दंडित नही कर सकता। परिवार या समाज को किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीनने का न कोई अधिकार है न होना चाहिये । मै नही समझता कि इतनी मामूली सी बात आप क्यो नही समझ पा रहे । आप मौलिक अधिकारो की परिभाषा समझिये या बताइये तब स्पष्ट होगा । हमारे देश के संविधान बनाने वाले मौलिक अधिकारो की परिभाषा नही जानते थे । इसीलिये यह भ्रम बना है । इसके लिये मै दोषी नही। यदि आप मौलिक अधिकार की कोई परिभाषा जानते हो तो बताइये । मै जानता हूँ। यदि कोई पूछेगा तो बता भी सकता हूं तथा विस्तृत चर्चा भी कर सकता हूं। मैने महिला सशक्तिकरण कही नही लिखा क्योकि मै परिवार को एक इकाई मानता हूँ जहां सब लोग महिला पुरूष बालक वृद्ध कमजोर और मजबूत का भेद भाव भूलकर एक संगठित इकाई बन जाते है। इसी तरह गांव परिवारो का समूह होता है। व्यक्तियो का नहीं गांव से उपर जाते जाते हम विश्व तक पहुंच जाते है । जिसे समाज कहते है । आज परिवार कमजोर हो रहे है। क्योकि परिवार के आंतरिक मामलो मे सरकार दखल दे रही है। यही हाल गांव का है। गांव को ग्राम सभा तो घोषित कर दी गई किन्तु स्वतंत्रता नदारत । मै समझता हूँ कि आप भौतिक उन्नति की बात कर रहे है। और मै स्वतंत्रता की । किसी व्यक्ति को जेल मे रखकर उसे सर्व सुविधा युक्त बनाना उसकी स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं। स्वतंत्रता के पूर्व मुसलमानो ने बल पूर्वक हिन्दुओ पर अत्याचार किये यह सर्वविदित है। साथ ही यह भी सर्वविदित है कि सवर्णो ने अवर्णो के साथ अत्याचार किये । दोनो द्वारा पूर्व में किए गए अत्याचारो का बदला लेना उचित है या भूल कर भविष्य की नीति बनाना। मै दोनो बातो को भूलकर नयी व्यवस्था बनाने का पक्षधर हूं और आप पूर्वजो के प्रति किये गये अत्याचार का बदला लेना चाहते है। अपनी अपनी स्वतंत्रता है। मै आपसे सहमत नही।।

मै गोडसे के किये गये कार्य को सम्पूर्णतः गलत मानता हूँ और गांधी के कार्य को ठीक । जिन संघ कार्यकर्ताओ ने स्वतंत्रता के पूर्व कसम खाई थी कि हम अपने जीते जी भारत का बटवारा नही होने देगे वे विभाजन के बाद भी जीवित कैसे रहे? ऐसी घोषणा करने वाले लाखो स्वयं सेवक थे जिन्होने घूम घूम कर विभाजन के विरूद्ध आहवान किया। भारत बट भी गया और वे स्वयं सेवक जीवित भी रहे। स्वयं सेवको ने विभाजन के विरूद्ध भरसक कोशिश की और गांधी ने भी की । गांधी द्वारा आमरण अनशन करके मर जाने की इच्छा रखने वाले स्वयं सेवको ने वटवारे के बाद क्या किया? विभाजन के विरूद्ध कसम खाने वालो मे नाथूराम गोडसे और गांधी ही तो मरे । बाकी तो जीवित ही रहे। मै गोडसे और गांधी को गलत कहूँ या बाकी सबको।

आपने ज्ञान तत्व पूरा पढा । मुझे खुशी है कि आपने इतने विस्तार से लिखा । आपके उत्तर की प्रतीक्षा है।

8. आचार्य पंकज, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यवस्था परिवर्तन मंच, रिषिकेश, उत्तरांचल

प्रश्न– मै आपसे प्रायः चर्चा करता रहता हूँ। आप प्रायः कहते रहते है कि भारतीय संविधान सभी समस्याओ की जड है। इस संविधान मे व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। आप तो इस संविधान के विरूद्ध कुछ कुछ बराबर ही बोलते और लिखते रहते हैं।

दूसरी ओर ज्ञान तत्व के अंतिम पृष्ठ पर मोटे अक्षरो मे लिखा रहता है कि वर्तमान संसदीय लोकतंत्र में तो संसद एक जेलखाना है, जहां हमारा भगवान रूपी संविधान कैद है। भगवान को जेलखाने से मुक्त कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में बदलना हीं होगा। लोक संसद के लिए आंदोलन इसका प्रारंभिक चरण है। व्यवस्थापक ने इसकी पहल की है। व्यवस्थापक से जुडिये और अपने भगवान को जेलखाने से मुक्त कराने की पहल कीजिए।

मैने बहुत सोचा और इस निष्कर्ष तक पहुंचा कि दोनो बाते एकदम विपरीत है। जो वस्तु सभी समस्याओ की जड है वह हमारा भगवान कैसे बन सकती है। मै समझता हूँ कि आपने जो भी लिखा वह सोचकर लिखा होगा । इसलिये आप हमे बताने की कृपा करे कि इन दो विपरीत बातो को लिखने का आपका आशय क्या है।

उत्तर– लोकतंत्र मे शासन किसी न किसी संविधान के अंतर्गत ही चलता है। ऐसा माना जाता है कि संविधान लोक और तंत्र के बीच पुल का काम करता है। संविधान के माध्यम से ही समाज अर्थात लोक तंत्र रूपी राज्य व्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस तरह संविधान की अनिवार्य रूप से भूमिका होती है तथा संविधान एक सम्मानित दस्तावेज होता है। जिसके माध्यम से समाज राज्य को अधिकार देता है तथा नियंत्रित भी करता है।

राज्य संविधान के अंतर्गत अधिकार प्राप्त करके उसके अनुसार शासन चलाता है किन्तु कल्पना करिये कि राज्य से जुडे लोग ही संविधान संशोधन के भी असीम अधिकार अपने पास रखले तो संविधान क्या कर सकता है। प्रारंभ मे कल्पना की गई थी कि संसद समाज का प्रतिनिधित्व करेगी तथा कार्यपालिका राज्य का । किन्तु संसद ने मंत्रिमंडल बनाकर शासन व्यवस्था पर भी अपना अधिपत्य कर लिया। यदि विधायिका और कार्यपालिका बिल्कुल अलग अलग रही होती तो इतनी कठिनाई नही होती किन्तु कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल एकाकार हो जाने के बाद वह स्थिति नही रही। यह घालमेल स्वतंत्रता के पूर्व ही शुरू हो गया था। संविधान बनाने वालो की ही नीयत खराब थी। इसलिये ही उन्होने एक तरफ तो कार्यपालिका को संसद के समक्ष उत्तर दायी भी बना दिया तो दूसरी ओर संविधान संशोधन का भी पूरा अधिकार अपने पास ही रख लिया। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी कह सकता है कि उनकी नीयत खराब थी। परिणाम यह हुआ कि संसद ने जब चाहा तभी संविधान मे संशोधन करके राष्ट्रपति को भी कमजोर किया और न्यायपालिका को भी। न्यायपालिका संविधान की अवहेलना करके धीरे धीरे पुनः शक्तिशाली होती गई किन्तु कार्यपालिका तो अब भी दबी हुई है क्योकि भारत का संविधान संशोधित होने के बाद उसे समकक्ष होने का अवसर नही देता। ।

इस तरह भारतीय संसद लगातार संविधान मे मनमाना संशोधन करके उसका दुरूपयोग करती रहती है। इससे संविधान का मूल उद्देश्य ही बदल गया। संविधान तो बनना ही चाहिये और बनेगा ही । मेरा तो यह कहना है कि संविधान लोकतंत्र की आत्मा होती है किन्तु भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने उसमे मनमाने संशोधन करके उसका स्वरूप बिगाड दिया। उस बिगडे हुए तथा लगातार बिगडते जा रहे संविधान की संसद के एकाधिकार से मुक्त कराकर उसका स्वच्छ रूप स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। हम संविधान की आवश्यकता मानते है किन्तु वह संसद के हस्तक्षेप से बाहर होना चाहिये।

सूचना

दिल्ली में हुए दस दिवसीय धरने में हुए निर्णय के अनुसार व्यवस्थापक सात अक्टूबर से सात दिसम्बर 2014 तक दो महिने की उत्तर भारत की यात्रा करेगा। यात्रा वाराणसी से शुरू होकर दक्षिण उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमांचल, कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारंखंड होते हुए रामानुजगंज में समाप्त होगी। ज्ञान तत्व के पाठकों से निवेदन है कि वे इन प्रदेशों में जहां जहां भी बैठक रखना चाहें वे पत्र द्वारा अथवा फोन द्वारा सूचित करने की कृपा करें।

– नरेंद्र सिंह

राष्ट्रीय सचिव व्यवस्थापक

फोन नं. 09012432074

. 09617079344